No. 3719-7S-77/14096.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Punjab Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights), Act, 1952, the President of India is pleased to empower Shri Net Ram Aggarwal, H.C.S., Sub-Divisional Officer (Civil), Dadri to perform the duties of a Collector under the said Act within the limits of Dadri Sub-Division of Bhiwani District.

No. 3719-7S-77/14097.— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Colonization of Government Lands Act, 1912 (Punjab Act V of 1912), Shri Net Ram Aggarwal, H.C.S., Sub-Divisional Officer (Civil), Dadri, is appoined as a Collector to perform all the functions and exercise all the powers under sections 17, 20(3), 24, 25, 26, 32, 33 and 34 of the said Act within the limits of Dadri sub-division of Bhiwani District over the lands to which the said Act applies in respect of all State-owned lands in the sub-division under the management or control of the Public Works Department, Haryana and the Rakh Hansi Bir in Hissar District.

The 8th June, 1977

No. 3620-S-77/15836.—Shri B. S. Manchanda, IAS, retired from the Indian Administrative Service on the afternoon of the 30th April, 1977, on attaining the age of 58 years.

R.L. SUDHIR,

Deputy Secretary.

HARYANA STATE LOTTERIES

The 1st June, 1977

No. DOL/HR/77/3140.—The Governor of Haryana is pleased to select the following persons as Judges for the supervision of the Mini Draw during the course of 95th Draw, to be held on Wednesday, the 1st June, 1977:—

1. Mrs. Partap Singh,
   W/O Ch. Partap Singh, IAS
   Deputy Secretary to Govt., Haryana,
   Irrigation & Power Deptt., Chandigarh.

2. Shri N. P. Haran, IA & AS,
   Senior Deputy Accountant-General,
   Haryana, Chandigarh.

3. Shri C. S. Rana, HCS,
   Assistant Estate Officer,
   Chandigarh.

4. Shri S. S. Kakkar, PCS,
   Administrative Officer,
   P. G. I., Chandigarh.

5. Shri S.R. Verma, IAS(Retd.),
   Kothi No. 11, Sector-5,
   Chandigarh.

S. L. DHANI, IAS,

Director of Lotteries and
Deputy Secretary to Government, Haryana,
Finance Department, Chandigarh.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 31 मई, 1977

क्रमांक 710-ज(I)-77/13709.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का

प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फसल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रु०
1	अम्बाला	श्री रवी दत्त, पुत्र श्री गोपाल दास	अम्बाला शहर	अम्बाला	खरीफ़, 1965 से रवी, 1970 तक	100
					खरीफ, 1970 से	150
2	,,	श्री कृष्णा गोपाल, पुत्र श्री राम चन्द	बलदेवनगर	,,	रवी, 1973 से	150
3	,,	श्रीमती प्रमेशवरी देवी, विधवा श्री खेम राज	मुसतफाबाद	जगाधरी	रवी, 1976 से	150

क्रमांक 843-ज(I)-77/13713.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों की वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फसल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रु०
1	अम्बाला	श्री करतार सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह	बम्भोल	जगाधरी	खरीफ़, 1974 से	150
2	,,	श्री कपूर सिंह, पुत्र श्री चन्द सिंह	धीन	अम्बाला	रवी, 1975 से	150
3	,,	श्री अमर सिंह, पुत्र श्री सोहन सिंह	ऊखल	नारायणगढ़	रवी, 1973 से	150
4	,,	श्री भूरा सिंह, पुत्र श्री अक्बर सिंह	मौली	,,	रवी, 1966 से रवी 1970 तक	100
					खरीफ़, 1970 से	150

क्रमांक 624-ज-(I)-77/13717—श्री साहब राम, पुत्र श्री शोली राम गांव कानीना, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को दिनांक 27 अगस्त, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप भारत के राष्ट्रपति, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन

प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री साहब राम की मुब्लिक 150 रुपए वार्षिक की जागीर जो उस हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 9294-जे-एन-(III)-65/7301, दिनांक 19 अक्तूबर, 1965 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती राम दई के नाम रबी 1977 से 150 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

क्रमांक 785-ज(I)-77/13721.—श्री पृथ्वी सिंह, पुत्र श्री राम लाल सिंह, गांव भांडोर उची, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 17 नवम्बर, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप भारत के राष्ट्रपति, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं, कि श्री पृथ्वी सिंह को मुब्लिग 200 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1798-आर-(III)67/2530, दिनांक 27 जुलाई, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती धम्मी देवी के नाम खरीफ़, 1976 से 200 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है ।

क्रमांक 737-ज(I)-77/13726.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) कि धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति श्री डूंगर राम, पुत्र श्री भगवाना, गांव गोमला, तहसील व ज़िला महेन्द्रगढ़, को रबी 1974 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 711-ज(I)-77/13730.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3 (1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति श्री अजमेर सिंह, पुत्र श्री काका सिंह, गांव नन्योला, तहसील व जिला अम्बाला को रबी, 1973 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 766-ज(I)-77/13734.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति श्री प्रेम सिंह, पुत्र श्री कृपा सिंह, गांव डुलयाना, तहसील व जिला अम्बाला, को रबी, 1973 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है ।

दिनांक 1 जून, 1977

क्रमांक 530-ज-II-77/13747.—श्री टेक चन्द, पुत्र श्री केवल सिंह, गांव रोहना, तहसील व ज़िला रोहतक की दिनांक 23 अक्तूबर, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप भारत के राष्ट्रपति, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 (ए), (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री टेक चन्द की मुब्लिक 150 रुपए वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1204-आर-(4)-68/1471, दिनांक 3 अप्रैल, 1968 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती दानो के नाम खरीफ, 1977 से 150 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

यशवन्त कुमार जैन,
विशेष कार्य अधिकारी,
हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग।

DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT

The 3rd June, 1977

No. 2581-2ECDI-77/4388.—The President of India is pleased to retire Shri Chandan Singh, Block Development and Panchayat Officer, (and now working as Assistant Project Officer, SFDA, Jind), from Government Service at his own request with effect from 1st June, 1977, subject to the condition that the Officer shall deposit an amount equal to his pay and allowances for the period, which falls short of three months' notice as required under rule 5.32 (C) (1) of Punjab Civil Services Rules, Volume II (as amanded,—*vide* Finance Department Notification No. 4118-2FR-74/24848, dated 12nd July, 1974).